

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 640/2023

बहादुर सिंह

—अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), सचिवालय, जयपुर।
3. खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति रूपवास।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2023

आदेश की दिनांक : 01.02.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री एन.के. तिवाड़ी, अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य  
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियन्ता के पद पर पंचायत समिति रूपवास, भरतपुर में पदस्थापित है। प्रत्यर्था विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2023 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति रूपवास, भरतपुर से पंचायत समिति मौलासर, नागौर 400 कि.मी. दूर किया गया। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आऊ, ब्लॉक डीग, जिला भरतपुर में कार्यरत है (अनुलग्नक-2)। अपीलार्थी की पत्नी लम्बे समय से घुटने की बीमारी से पीड़ित है, जिसे चलने-फिरने में काफी कठिनाई होती है। चिकित्सकों द्वारा घुटनों की ऑपरेशन की सलाह दी है (अनुलग्नक-3)। अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 5043/2020 मंजू वर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.07.2020 (अनुलग्नक-4) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान तथ्यों पर आधारित बताया है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्था विभाग को दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक-5) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा-निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य

(शुचि शर्मा)  
सदस्य